2026:AHC-LKO:41338

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW
CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 482 BNSS No. - 1108 of 2026

Mohd. Naushad @ Altmas

.....Applicant(s)

Versus

State Of U.P. Thru. Prin. Secy. (Home) Lko.

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Ramakar Shukla
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A.

Court No. - 11

HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रामाकर शुक्ला तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण कुमार वर्मा को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2. धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत प्रस्तुत इस प्रार्थना-पत्र द्वारा प्रार्थी ने मुकदमा अपराध संख्या 28 सन 2026 अन्तर्गत धारा 318 (4), 319(2), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व 182 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 थाना कोतवाली देहात जिला सुल्तानपुर में अग्रिम जमानत की प्रार्थना की है।

3. उपरोक्त प्रकरण एक पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा प्रार्थी सहित पांच व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 23.01.2026 को लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट द्वारा संस्थित हुआ जिसमें कहा गया कि विगत काफी समय से फर्जी तरीके से ट्रकों का बीमा कराकर उसे चोरी दिखाकर बीमा रुपयों के संबंध में धोखाधड़ी करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। जांच के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर कुछ चोरी के ट्रक एक गैरज में पाए गए तथा एक व्यक्ति विजय शंकर मिश्रा को पकड़ा गया। विजय शंकर मिश्रा द्वारा अभिरक्षा में दिए गए अपने बयान में कहा कि सह-अभियुक्त जय प्रकाश विश्वकर्मा ट्रकों पर इंजन नंबर व चेचिस नंबर अंकित करने का काम कर रहा है, ब्रिजेश कुमार उर्फ विपिन ट्रक का हुलिया बदलवाने की व्यवस्था करता है तथा राकेश जायसवाल ट्रक के कागज तैयार करवाने व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में मदद करता है। उस बयान में यह भी कहा गया कि ब्रिजेश कुमार उर्फ विपिन का कोई साथी है जिसका नाम अलतमश है, जो ट्रको को गैरज में रखकर यह सारा काम करवाता है।

4. प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र के प्रस्तर 16 तथा 17 में दो अन्य आपराधिक प्रकरणों प्रार्थी की संलिप्तता दर्शायी गई है जिनमें से एक में उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश हो चुका है एवं दूसरे में उसे कोई समन अथवा वारंट प्राप्त नहीं हुआ है।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक सह-अभियुक्त के अभिरक्षा में दिए गए बयान के अतिरिक्त प्रार्थी के विरुद्ध कोई सामग्री नहीं है एवं उस बयान में भी प्रार्थी द्वारा किए गए किसी विशिष्ट कृत्य का कोई कथन नहीं है।

6. यद्यपि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए कहा कि प्रकरण में विवेचना अभी लंबित है, किंतु अब तक की विवेचना से प्रार्थी के विरुद्ध प्रकाश में आई कोई अन्य सामग्री वह न्यायालय के समक्ष नहीं रख सके।

7. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जबकि मात्र एक सह-अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में दिए गए बयान के अतिरिक्त इस स्तर पर प्रार्थी के विरुद्ध कोई सामग्री नहीं है, न्यायालय का मत है कि प्रार्थी अग्रिम जमानत पाने का अधिकारी है।

8. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में आवेदक की गिरफ्तारी/न्यायालय के समक्ष उपस्थिति की दशा में, उसे संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंध पत्र एवं दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर परीक्षण के अंतिम रूप से निस्तारण तक, निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

क- आवेदक, यदि आवश्यक होगा तो पुलिस अधिकारी द्वारा जॉच हेतु अपेक्षित समय पर उपस्थित होगा।

ख- आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए।

ग- आवेदक अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

घ- आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गयी हो;

ङ- आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा / धमकी नहीं देगा।

च- आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(Subhash Vidyarthi,J.)

June 17, 2026
Sumit

Digitally signed by :-
SUMIT KAPOOR
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench